न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025 / 220 दर्ज तिथिः–26.05.2025

1. गिरधारीराम पुत्र सांवलाराम
2. सुरेश कुमार पुत्र सांवलाराम
3. मोरोदेवी पत्नी सांवलाराम
4. सीता पत्नी सांवलाराम
5. रता पुत्र हरदा
   जाति रबारी निवासी टाबों का धोरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री सुखराम विश्नोई
श्री प्रागाराम बोगराज
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 224 / 0.1781 है0 मौजा टाबों का धोरा पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 224 में से पूर्व में राज्य सरकार के पक्ष में आराजी समर्पित की गई थी। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर खसरा संख्या 224 / 1 / 0.1781 है0 आवंटित किया गया है। उक्त समर्पित खसरा संख्या 224 / 1 में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है।
- कि उक्त समर्पित भूमि के खसरा संख्या 224 / 1 पर बना राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं चारदीवारी मौके पर समर्पण की गई भूमि पर ही बनी हुई है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कार्मिकों द्वारा समर्पित भूमि की तरमीम करते वक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं चारदीवारी प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी के भाग पर कर दी गई। जिससे मौके एवं रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 224 एवं अप्रार्थी के खसरा संख्या 224 / 1 का वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू—नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

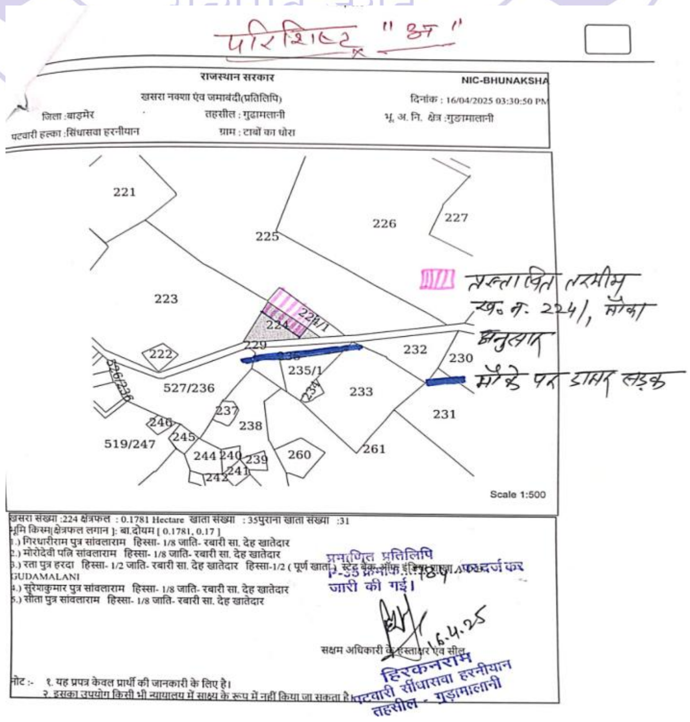

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1547 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1547 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

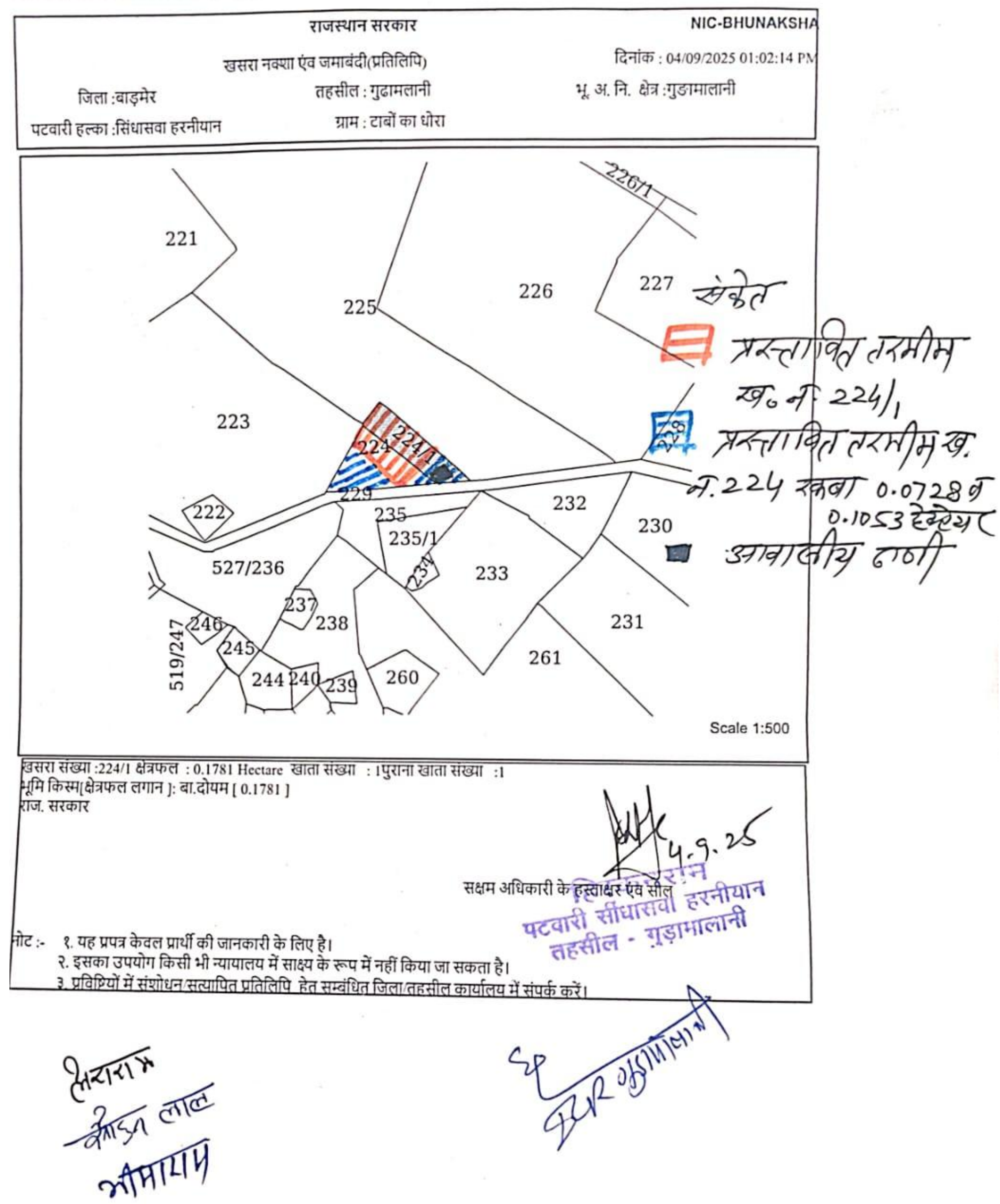
राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 04/09/2025 01:02:14 PM
जिला :बाड़मेर तहसील : गुढामलानी भू. अ. नि. क्षेत्र :गुडामालानी
पटवारी हल्का :सिंधासवा हरनीयान ग्राम : टाबों का धोरा

खसरा संख्या :224/1 क्षेत्रफल : 0.1781 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या : 1
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [0.1781]
राज. सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील
पटवारी सींधासवा हरनीयान
तहसील - गुड़ामालानी

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्ठियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1547 दिनांक 23.09. 2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

   1. कि आराजी खसरा संख्या 224 / 1 की तरमीम मौके पर वास्तविक रूप से चालू / परिशिष्ट–अ में गुलाबी रंग से दर्शित भूमि के विपरीत अंकित की गई है।
   2. कि आराजी की तरमीम समर्पण आदेश अनुसार ही की गई है। अर्थात्त स्वीकृत समर्पण नामांतरकरण संख्या 644 की पुश्त पर की गई अुनसार ही की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested

3. कि संलग्न परिशिष्ट–अ अनुसार ही मौके पर विद्यालय बना हुआ है।
4. कि मूल खसरा संख्या 224 से समर्पण खसरा संख्या 224 / 1 की तरमीम वास्तविक निर्माण / परिशिष्ट–अ अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।
5. कि वर्तमान तरमीम समर्पण खसरा संख्या 224 / 1 में खसरा संख्या 224 के खातेदार की आवासीय ढाणी बनी हुई है। समर्पण खसरा संख्या 224 / 1 की वास्तविक कब्जा निर्माण / परिशिष्ट–अ अनुसार संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार व खसरा संख्या 224 को दो भागों में विभाजित कर रकबा संलग्न नक्शा में दर्शाये बरंग अनुसार रकबा 0.0728, 0.1053 है0 किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1547 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1547 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1547 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/1547 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:46 IST
Reason: SelfAttested